<u>न्यायालय- सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट,(म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—532 / 2009</u> संस्थित दिनांक—08.10.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखंड, जिला–बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — <u>अभियोजन</u>

विरुद्ध

- 1. महादेव पिता भूरासिंह परते, उम्र—50 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम देवरी, थाना मलाजखंड, जिला—बालाघाट (म.प्र.)
- 2. बैसाखूसिंह पिता फत्तूसिंह परते, उम्र 60 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम देवरी, थाना मलाजखंड, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — -

- <u>अभियुक्तगण</u>

सहबू पिता विष्णु, उम्र ४० वर्ष, जाति बैगा, निवासी–ग्राम देवरी, थाना मलाजखंड,

जिला–बालाघाट (म.प्र.)

फरार घोषित

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-29/10/2014 को घोषित)

- 1— आरोपी महादेव एवं बैसाखू के विरुद्ध भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा—429 के अंतर्गत यह आरोप है कि उन्होनें दिनांक—05.10.2008 से दिनांक—06.10. 2008 सुबह 7:00 बजे के मध्य स्थान बिसनवाही कक्ष के सरई जंगल में थाना मलाजखंड में जंगल से जा रही डायरेक्ट विद्युत लाईन से जी.आई.तार फेलाकर प्रार्थी सवनालाल की 02 नग भैस, जिसका मूल्य 50/—रूपये या इससे अधिक था, का वध किया तथा एतद द्वारा रिष्टि कारित किया।
- 2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—05.10.2008 को फरियादी सवनालाल ने अपनी 02 नग भैसों को बिसनवाही कक्ष के सरई जंगल में चरने के छोड़ा गया था, जब शाम को चरवाहे को उक्त भैसे नहीं मिली तो उसके द्वारा फरियादी को जानकारी दी गई। प्रार्थी द्वारा उक्त भैसों को ढूंढने की कोशिश की गई परन्तु नहीं मिली। फरियादी सवनालाल द्वारा भैसों के गुम होने के संबंध में थाना मलाजखंड में रिपोर्ट दर्ज करवायी गई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—96/2008, धारा—429 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया गया। पुलिस ने विवेचना पर पाया कि आरोपीगण के द्वारा जंगल जा रही डायरेक्ट विद्युत लाईन में जी.आई.तार जंगली

जानवर मारने की नियत से फैलाये थे, जिससे फरियादी की उक्त भैसे फंसकर मर गई थी। जिस पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध उक्त प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित संपत्ति जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया। मृत भैसों का पोस्ट मार्डम करवाया गया। मृत भैसों का नुकसानी पंचनामा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी महोदव एवं आरोपी बैसाखुसिंह को गिरफ्तार न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी महोदव, आरोपी बैसाखू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—429 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होनें जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में आरोपी सहबू पूर्व से फरार है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. उन्होनें दिनांक—05.10.2008 से दिनांक—06.10.2008 सुबह 7:00 बजे के मध्य स्थान बिसनवाही कक्ष के सरई जंगल में थाना मलाजखंड में जंगल से जा रही डायरेक्ट विद्युत लाईन से जी.आई.तार फेलाकर प्रार्थी सवनालाल की 02 नग भैस का जिसका मूल्य 50/—रूपये या इससे अधिक था, का वध किया तथा एतद् द्वारा रिष्टि कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

फरियादी सवनालाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह हाजिर आरोपीगण को पहचानता है। घटना करीब दो-ढ़ाई वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को उसने 02 नग भैस चरवाहे के पास छोड़ा था, जब वह शम को भैस लाने गया तो वह नहीं मिली। उसे अन्य चरवाहे ने बताया कि भैस बड़े सरई के जंगल में मरी पड़ी हुई है। वह घटना स्थल पर जाकर देखा तो वहां उसकी दोनों भैस नंगे तार में फंसकर मरी पड़ी हुई थी। घटना स्थल पर बिस्तवाही का रहने वाला एक लडका खड़ा था, जिसने उसे बताया कि सहबूसिंह बैग ने बांस की खुंटी लगाई थी तथा अन्य दो-चार लोग पेड़ के नीचे बैठे थे। उसने घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखंड में दर्ज करवाया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दोनों भैसो की कीमत करीब 30,000 / – रूपये थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे रिपोर्ट लिखाते समय तक भैसों के मरने का कारण नहीं मालूम था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट में किसी आरोपी का नाम नहीं लिखाया था। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसने आरोपी सहबूसिंह का नाम लिखाया था, किन्तु रिपोर्ट में नाम न लिखा हो तो कारण नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रथम पी-1 एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप

अपनी साक्ष्य पेश की है। साक्षी ने फरियादी के रूप में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी है तथा उक्त रिपोर्ट में आरोपीगण का नाम उल्लेखित नहीं है और न ही अपने कथन में आरोपीगण के द्वारा कथित अपराध कारित किये जाने का तथ्य प्रकट किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय उसकी दो भैंस बिजली के तार में करेंट लगने के कारण मर गई थी।

- 6— रामेश्वर (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह हाजिर आरोपीगण को पहचानता है। घटना करीब दो—ढ़ाई वर्ष पूर्व की है। जब घटना स्थल पर गया था तो उसने देखा था कि प्रार्थी सवनालाल की भैस बिजली के खम्बे से अलग तार खींचकर फंदा बना था, जिसमें दोनों भैंस फंसकर मरी पड़ी हुई थी। उक्त तार खुंटे पर था जा कि एक फीट की दूरी पर लगी थी, जिसमें बिजली का तार लगाया हुआ था। उक्त दोनों भैसों की कीमत लगभग 40—45 हजार रूपये रही होगी। उसे बिसतबाई के लड़के ने बताया था कि आरोपी सहबूसिंह द्वारा उक्त बिजली का तार लगाया गया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने घटना स्थल से बिजली का तार जप्त किये थे, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—3 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने तार के साथ खूंटी भी जप्त की थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जप्ती की सम्पूर्ण कार्यवाही थाने में की गई थी। साक्षी ने आरोपी सहबूसिंह द्वारा कथित बिजली का तार लगाने वाली बात अन्य व्यक्ति से जानकारी होना प्रकट किया है, जबिक अन्य आरोपीगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। इस प्रकार आरोपीगण के विरूद्ध इस साक्षी के कथन से अभियोजन को कोई लाम प्राप्त नहीं होता है।
- 7— भागचंद (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। आज से लगभग दो वर्ष पूर्व देवरी के जंगल में वायर बड़ी विद्युत लाईन से बिछाये थे। सवनालाल जब दूसरे दिन जंगल तरफ अपनी भैस ढूंढने गया था तब भैस तार में फंस कर मर गयी थी। वह, प्रार्थी सवनालाल के साथ थाना गया था। पुलिस ने घटना स्थल से उसके सामने तार, बांस की खुंटी एवं शीशी जप्त की थी, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—3 पर उसके हस्ताक्षर है। इसके अलावा उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने आरोपीगण के विरूद्ध कथित अपराध कारित किये जाने के संबंध में कोई तथ्य पेश नहीं किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर किसके द्वारा तार व खुंटी लगाई गई थी, उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार आरोपीगण के विरूद्ध इस साक्षी के कथन से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 8— सुरेश (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण तथा प्रार्थी को जानता है। घटना 2—3 वर्ष पूर्व रात के समय ग्राम बड़ी सरई की है। घटना दिनांक को पंचम भैस को चराने के लिये ले गया था, जब भैस शाम को वापस नहीं आयी तो वे लोग ढंढने के लिये गये थे तो भैस नहीं मिली थी।

ग्राम बड़ी सरई में उन्हें आरोपीगण मिले थे, उनके पास लकड़िया था। दूसरे दिन पुनः जब वे लोग भैस ढूंढने बिसतवाही गये तो बिसतवाही के लोगों ने बताया कि सरई में दो भैसे करंट लगकर पड़ी हुई। वे लोग बिसतवाही जाकर देखे तो दोनों भैसे बिजली का करंट लगने से मृत अवस्था में पड़ी हुई थी तथा उनके सामने के पैर तथा पीठ में तार लगा हुआ था। उसने घर वापस आकर अपने पिता को जानकारी दिया। उक्त दोनों भैसों की कीमत लगभग 30,000 / —(तीस हजार रूपये) थी। उन्हें बिसतवाही के लोगों ने बताया था कि आरोपीगण को जंगल में खंटी लगाते हुये देखे थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने तथा किसी ने भी घटना होते हुये नहीं देखा, वह दूसरों के बताये अनुसार आरोपीगण के द्वारा खुंटी गाड़ने वाली बात बता रहा है। साक्षी ने किस व्यक्ति से उक्त जानकारी प्राप्त हुई, इसका खुलासा अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। मात्र अनुश्रुत साक्षी के रूप में साक्षी के कथन का महत्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार आरोपीगण के विरुद्ध इस साक्षी के कथन से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

- 9— यशवंत पटले (अ.सा.5), सवनू (अ.सा.7), समलीबाई (अ.सा.8), रितेन्द्र (अ.सा.10) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वे आरोपीगण को तथा प्रार्थी को नहीं जानते। उन्हे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पंचमिसंह (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को तथा प्रार्थी को नहीं जानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी फिर कहता है कि घटना 4 वर्ष पूर्व सुबह 10 बजे की है, वह भैस चराने गया था, उस समय पानी आ रहा था, दो भैस छुट गई थी। इसके अलावा उसे और कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया है, केवल इस तथ्य का समर्थन किया है कि भैंस करेंट से मरी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि तार व खूंटी मौके पर किसने लगाया था उसे जानकारी नहीं है तथा साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि भैस किस कारण मरी थी वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है।
- 10— देवेन्द्र (अ.सा.12) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को तथा ऐशु को भी नहीं जानता। सवनालाल की भैसे बिजली के करेंट से मरी थी, जिसके संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है, और न उसके संबंध में उसे काई जानकारी है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।
- 11— भूपेन्द्र (अ.सा.13) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। सबनालाल की भैसे बिजली के करेंट से मरी थी, जिसके संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है, और न उसके संबंध में उसे काई जानकारी है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

अनुसंधानकर्ता अधिकारी जैनेन्द्र उपराडे (अ.सा.11) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-6.10.2008 को थाना मलाजखंड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक-96 / 2008, धारा-429 भा.द.वि. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा प्रार्थी सवनालाल की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही घटना स्थल से साक्षियों के समक्ष 30 नग बांस की कमची की खुंटिया, 12 नग शीशी तथा जी.आई. तार जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा प्रार्थी सवनालाल, साक्षी रामेश्वर, सुरेश, यशवंत, पंचमसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उसके द्वारा भैस का पोस्ट मार्डम शासकीय पशु चिकित्सालय मोहगांव से कराया गया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में साक्षियों के कथन अपने मन से लेख किये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने मृत जानवरों के शव परीक्षण रिपोर्ट पेश न करने के संबंध को कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार अनुसंधान के दौरान उक्त महत्वपूर्ण कार्यवाही अर्थात मृत पशुओं का शव परीक्षण रिपोर्ट पेश न करने की तात्विक त्रुटि को साक्षी ने स्पष्टीकरण पेश कर साक्ष्य में दूर नहीं किया है।

13— अभियोजन की ओर से किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी को कथित अपराध कारित किये जाते देखे जाने के संबंध में पेश नहीं किया गया है। वास्तव में फरियादी ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात् आरोपीगण को मामले में अभियोजित किये जाने हेतु किसी भी साक्षी ने अभियोजन का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है। सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण ने घटना की जानकारी न होना प्रकट किया है तथा कुछ साक्षीगण ने मृत भैसों की करेंट से मृत्यु होने की पुष्टि की है, किन्तु उक्त मृत पशु के शव परीक्षण रिपोर्ट को पेश कर अभियोजन के द्वारा प्रमाणित न किये जाने से यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है कि निश्चित रूप से मृत भैसों की मृत्यु करेंट लगने के कारण हुई थी। प्रकरण में कथित करेंट आरोपीगण के द्वारा तार एवं खुंटी फैलाकर एवं गाड़कर लगाने से प्रवाहित हुआ, यह तथ्य भी साक्ष्य में प्रकट नहीं हुआ है। इस प्रकार अभियोजन मामले में तथाकथित अपराध कारित किये जाने के संबंध में आरोपीगण के विरुद्ध चक्षुदर्शी साक्षी को पेश नहीं किया गया है तथा कथित अपराध कारित किये जाने के संबंध में पूर्णतः साक्ष्य का अभाव है।

14— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी महादेव, बैसाखू ने जंगल से जा रही डायरेक्ट विद्युत लाईन से जी.आई.तार फेलाकर प्रार्थी सवनालाल की 02 नग भैस, जिसका मूल्य 50/—रूपये या इससे अधिक था, का वध किया तथा एतद् द्वारा रिष्टि कारित किया। अतएव आरोपी महादेव एवं बैसाखू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—429 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

15— आरोपी महादेव एवं बैसाखू के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। 16— प्रकरण में आरोपी सहबू फरार घोषित है। अतः प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति के बारे में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

ATTHER ST. PORTO